न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण क.-267/15</u> <u>संस्थापित दिनांक-22.09.2015</u> Filling number-235103003402015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।**अभियोजन**

विरुद्ध

1—सुनील पुत्र भैयालाल लोधी उम्र 19 साल निवासी—ग्राम मोहनपुर चन्देरी जिला— अशोकनगर।आरोपी

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 18.04.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 341, 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 24.08.2015 को सुबह 6:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी शारदाबाई को मां बहन की गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी शारदाबाई को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी शारदाबाई की थप्पडों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया शारदाबाई ने अपने पित रितराम के साथ उपस्थित होकर थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 24.08.2015 को सुबह 6 बजे वह अपने घर से बाहर लोटा लेकर जा रही थी तभी उसके घर के सामने रास्ते में सुनील आया और उसका रास्ता रोक लिया और पुरान रंजिश पर से उसे गंदी—गंदी गाली देने लगा, उसने गाली देने से मना किया तो उसकी थप्पडों से मारपीट कर उसके मारने से वह नीचे गिर गई जिससे उसके बांए हाथ की छिंगली में चोट आ गई। सुनील ने उसे खचोर दिया जिससे उसके दोनो हाथों और सीना पर चोट आई। वह चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर उसका देवर गोविन्द आ गया। गोविन्द के आने से सुनील भाग गया। उसके पित घर पर नहीं थे उनके आने पर साथ में रिपोर्ट की। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झूठा फसाया जाना एवं बचाव में शोभाराम, वैजनाथ के कथन कराए।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.08.2015 को सुबह 6:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी शारदाबाई को मां बहन की गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी शारदाबाई को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया ?
- 3. क्या अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी शारदाबाई की थप्पडो से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?

विचारणीय प्रश्न क0 1 व 2:-

- 05— विचारणीय प्रश्न क0 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी श्रीमती शारदाबाई अ०सा०1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी सुनील को जानती है। घटना करीब उसके न्यायालयीन कथनों से 5—6 माह पहले की होकर शाम 6 बजे की है। वह शौच के लिये जा रही थी तो आरोपी सुनील ने उसे गालियां दी और उसे मारा तो उसके हाथ में, सिर में और हाथ की झिगली अंगुली में चोट लगी थी। घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 06— श्रीमती शारदा अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि जब वह शौच के लिये जा रही थी तो आरोपी सुनील ने उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी थी, इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य किसी साक्षी का फरियादिया शारदाबाई को आरोपी द्वारा गाली देने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये है। शारदा अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण मे यह तो व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा गालियां दी थी परन्तु साक्षी ने उसके कथनो में यह व्यक्त नहीं किया कि आरोपी द्वारा उसे कौन सी गालियां दी गई थी और उक्त गालियां किस आशय से दी गई थी। आपराधिक विधि शास्त्र के अनुसार आपराधिक

दोषिता साबित करने के लिये प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य की स्पष्ट रूप से विशिष्टियां बतानी होती है। विष्णु प्रसाद वि० म०प्र० राज्य 1971 जे.एल.जे. 148 में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते है किन्तु उन्हें अश्लील नहीं माना जा सकता, इस संबंध में शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भी अवलोकनीय है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखिनिय है कि प्रकरण में शारदा अ०सा०1 द्वारा उनके कथनो में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया है कि अभियुक्त ने उसे लोक स्थान पर गाली दी थी, भा०द०सा० की धारा 294 के अपराध को साबित करने के लिये मात्र इस प्रकार की औपचारिक साक्ष्य थी। अभियुक्त ने गालियां या मां बहन की गालियां दी थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

07— जहां तक अभियुक्त द्वारा फरियादिया शारदा अ०सा०1 को संत्रास कारित करने के लिये जान से मारने की धमकी देने का प्रश्न है। इस संबंध में फरियादिया शारदा अ०सा०1 ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना व्यक्त किया कि आरोपी कह रहा था कि रिपोर्ट करने गई तो जान से खतम कर दुंगा। फरियादिया शारदा अ०सा०1 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से उसे भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। इसके विपरीत प्रकरण के अवलोकन से घटना के पश्चात ही फरियादिया शारदा अ०सा०1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी 1 लिखाये जाने का तथ्य सूचनाकर्ता को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है। उल्लेखनिय है कि भा०द०स० की धारा 503 में परिभाषित ''आपराधिक अभित्रास'' का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध घटित नहीं होता है।

08— आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दो से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दो को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग—2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

09— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया शारदा अ०सा०१ को गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

विचारणीय प्रश्न क0 3:-

- 10— श्रीमती शारदा अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि आरोपी सुनील द्वारा मारा तो उसके हाथ, सिर और हाथ की झिगली अंगुली में चोट लगी थी और जब वह चिल्लाई तो घटना स्थल पर गोविन्द आ गया था जिसने उसे बचाया था। उक्त साक्षी आगे उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त करती है कि उसे नहीं पता कि आरोपी ने उसे किस चीज से मारा था। पुलिस ने उसकी चोटो का परीक्षण हेतु चंदेरी सरकारी अस्पताल भेजा था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 11— रितराम अ०सा०३ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपी सुनील को जानता है तथा फिरयादिया शारदाबाई उसकी पत्नी है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। रितराम ने बताया कि उसकी पत्नी लोटा लेकर शौच करने गई थी तभी आरोपी ने उसकी मारपीट कर दी थी जिससे उसकी पत्नी को दांहिने हाथ की झिगली में चोट लगी थी और कही चोट लगी हो तो उसे मालूम नहीं है, उसके कपडे फट गये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि उसे गोविन्द ने बचाया था। रितराम अ०सा०३ का कहना है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश पर से उसकी पत्नी को मारा था।
- 12— गोविन्द अ०सा०४ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपी व फिरियादिया को जानता है। घटना सुबह के समय की है। जब वह शौच करने जा रहा था तो उसने देखा कि सुनील का शारदाबाई से झगडा हो रहा था, शारदाबाई जमीन पर थी और आरोपी उपर से झगडा कर रहा था तब उसने दोनो का अलग अलग किया। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि उसने शारदाबाई की चोटे देखी थी और घटना स्थल पर उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था, फिर कहा गाँव के कुछ लोग मौजूद थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि जहां झगडा हो रहा था वहां 15—20 लोग मौजूद थे जिनमें शोभाराम, अमर सिह, वैजनाथ व अन्य लोग मौजूद थे और घटना के समय आरोपी सुनील के पिता भैयालाल मौजूद नहीं थे। अनिल कुमार अ०सा०२ ने बताया कि वह दिनांक 24.08.14 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और अ०क० 309/15 धारा 341, 323, 294 भा०द०वि० की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, उसके द्वारा ह ।टना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.3, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे।

- 13— फरियादी शारदा अ0सा01 उसके मुख्य परीक्षण में बताती है कि घटना शाम 6 बजे की है, जबिक प्रतिपरीक्षण में वह घटना दिन के सुबह 6 बजे थाने में रिपोर्ट लिखाने जाना व्यक्त करती है। उक्त साक्षी द्वारा उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 में आरोपी द्वारा उसे थप्पडों से मारपीट करने एवं मारपीट में नीचे गिर जाने से उसके बांये हाथ की झिगली में चोट आना और आरोपी द्वारा खचोर दिया जाना व्यक्त करती है। किन्तु उक्त साक्षी उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त करती है कि उसे नहीं पता कि आरोपी ने उसे किस चीज से मारा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में शारदा अ0सा01 इस बात को स्वीकार करती है कि वह दुर्गा स्वसहायता समुह में सचिव के पद पर कार्य करती है तथा इस बात को भी स्वीकार करती है कि बच्चों को समुह में खाना नहीं बनाती थी इसकी शिकायत आरोपी सुनील ने मुख्यमंत्री हेल्प लाईन में की थी तथा इस बात को भी स्वीकार करती है कि आरोपी की उससे पहले से रंजिश है।
- 14— श्रीमती शारदा अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि जब वह चिल्लाई तो घटना स्थल पर गोविन्द आ गया था जिसने उसे बचाया था। गोविन्द अ०सा०4 ने बताया कि जब वह शौच के लिये जा रहा था तब उसने देखा कि सुनील का शारदाबाई से झगडा हो रहा था शारदाबाई नीचे जमीन पर थी और आरोपी उपर से झगडा कर रहा था तब उसने दोनो को अलग अलग किया था। उक्त साक्षी मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में व्यक्त करता है कि घटना स्थल पर उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। फिर कहा कि गाँव के कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें शोभाराम, अमरसिह, वैजनाथ और अन्य लोग मौजूद थे। जबिक फरियादिया शारदाबाई ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में व्यक्त किया कि जब उसकी आरोपी से बातचीत हुई थी उस समय 15—20 लोग इकट्ठा नहीं थे। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी गोविन्द की ओर से बताए गए वैजनाथ एवं शोभाराम को बचाव साक्षी के रूप में परिक्षित कराये जाने पर उक्त साक्षीगण ने आरोपी सुनील व फरियादी शारदाबाई के मध्य झगडा होते हुए न देखना और न ही सुनना व्यक्त किया।
- 15— फरियादिया शारदाबाई द्वारा हाथ में, सिर में और हाथ की झिगली अंगुली में चोट आना व्यक्त किया हैं, जबिक चिकित्सक डॉ. आर.पी.शर्मा अ0सा05 ने फरियादी शारदा के बांयी तरफ सीने पर खरोच का निशान जिसका आकार 0.5 गुणा 1/4 इंच होना व्यक्त किया तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उक्त चोट स्वकारित की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फरियादिया द्वारा उसको जो चोटे आना व्यक्त की है उसका समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होता है तथा डॉ. आर.पी.शर्मा के अनुसार फरियादिया को आई चोट स्वकारित की जा सकती है तथा स्वयं फरियादिया द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चो को समुह में खाना नहीं बनाने की शिकायत आरोपी सुनील द्वारा मुख्य मंत्री हेल्प लाईन पर की थी इन समग्र परिस्थितियों में अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपी द्वारा फरियादी शारदाबाई की थप्पडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। परिणामस्वरूप

आरोपी सुनील पुत्र भैयालाल लोधी को भा०द०वि० की धारा 294, 341, 323 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- **16** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 17- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 18- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारतमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0